

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 221/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/346

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
धानाराम पुत्र कैराराम		1.उदाराम पुत्र कानाराम
जाति भील		जाति भील निवासी मेवानगर
निवासी कितपाला		2.दीपक बाफना पुत्र प्रदीपकुमार
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		जाति ओसवाल निवासी मेवानगर
		तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
		3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
		पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-


- 1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी
- 2.श्री जयदीपसिंह भाटी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 02
- 3.विप्रार्थी संख्या 1 व 3 एकपक्षीय



आदेश

दिनांक 08/11/2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 770/235 क्षेत्रफल 0.2509 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 770/235 क्षेत्रफल 0.2509 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्राथी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्राथीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्राथीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री जयदीपसिंह भाटी द्वारा विप्राथी संख्या 02 की ओर से वकालतनामा मय इकवाली जवाब पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। विप्राथी संख्या 1 व 3 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।


3.हमने प्राथी व विप्राथी संख्या 02 के अधिवक्तों की बहस सुनी। प्राथी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्राथी की खातेदारी भूमि ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 770/235 क्षेत्रफल 0.2509 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्राथी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्राथी की भूमि के सेढा सेढा विप्राथी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्राथी की भूमि के सेढों को लेकर विप्राथीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्राथी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं तथा प्राथी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्राथी झगडालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्राथी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्राथी द्वारा विप्राथी को मना करने के उपरांत भी विप्राथी प्राथी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे हैं। अंत में निवेदन किया कि प्राथी की खातेदारी भूमि ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 770/235 क्षेत्रफल 0.2509 हैक्टर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.विप्राथी संख्या 02 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्राथी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी की जाती है, तो विप्राथी को आपति नहीं है।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 770/235 क्षेत्रफल 0.2509 हैक्टर भूमि प्राथी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्राथी विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्राथी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1.(परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटायें जायेंगे)




उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त प्राकथान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रायली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 03.7.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विद्यमान आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। केवलमात्र सेड पड़ौसी द्वारा आपति किए जाने पर ही विवाद होना लिखा गया,जो कि न्यायिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि यदि विवादित आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होता,तो रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन करते कि किस दिशा की सीमा को लेकर क्या विवाद है,जो कि रिपोर्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया नहीं है। इस कारण न्यायालय हाजा विवादित आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होनी की रिपोर्ट को लेकर आश्वस्त नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुरारण में निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

--:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 770/235 क्षेत्रफल 0.2509 हैक्टर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।



आदेश आज दिनांक 08.11.2024 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा